

शैक्षिक समिति

क्रम सं.	सदस्य
1	सहायक आयुक्त
2	अध्यक्ष
3	वरिष्ठ प्रधानाचार्य
4	एचएम और वाइस प्रिंसिपल (सभी केन्द्रीय विद्यालयों से नियमित आवर्तन द्वारा मासिक बैठक)
5	तीन शिक्षा अधिकारी